हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब... अह... हुक्म... में ज...
07/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 21/11/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर 21/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० प्रतिवादी से 3 व 8 की ओर से एड. श्री अरुण वर्मा ने पावर पेश की। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक 3991 दिनांक 03/07/2025 के द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 21/11/25	

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मु.न.134 / 2024
दर्ज दिनांक 02.09.2024
निर्णय दिनांक 21.11.2025

1. भोलू राम उर्फ देवीसहाय उम्र 45 वर्ष पुत्र कालूराम जाति माली निवासी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

वादी............।

बनाम

1. झब्बू पुत्र गोविन्दा
2. छोटी देवी पत्नि गोविन्दा
3. बच्ची पुत्री गोविन्दा
4. रमेश चन्द पुत्र गोविन्दा
5. रामकिशोर पुत्र कालूराम
6. रामस्वरूप पुत्र नारायण
7. रामसहाय पुत्र नारायण
8. लाली पत्नि कालूराम
9. विमला पुत्री गोविन्दा
10. सुखपाल पुत्र नारायण
11. हरिमोहन पुत्र कालूराम

(क्रम 1 से 11) समस्त जाति माली निवासी ग्राम नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

12. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा।

प्रतिवादीगण..................।

दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

वाद वादी दावा उदघोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का जरिये विनोद शर्मा एडवोकेट के विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– खाता संख्या नया 73 पुराना 65 खसरा नम्बर 1486 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नम्बर 1488 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 1489 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.07 हैक्टे, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.18 हैक्टे, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.05 हैक्टे, कुल किता 08 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 0.70 रूपया वाके ग्राम नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 वादपत्र के साथ संलग्न है। भूमि मुतदाविया खाता संख्या नया 73 पुराना 65 में वादी का नाम बतौर खातेदार देवीसहाय पुत्र कालूराम जाति माली हिस्सा 1/20 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो रहा है जो सहवन से गलत दर्ज हो रहा है देवीसहाय पुत्र कालूराम वादी का घर का बोलता नाम है जबकि वादी का सही नाम भोलू राम पुत्र कालूराम है वादी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड,

Scanned with OKEN Scanner

जनआधार कार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि में वादी का नाम भोलू राम सैनी पुत्र कालूराम सैनी दर्ज है जो सही है। देवीसहाय पुत्र कालूराम व भोलू राम पुत्र कालूराम एक ही व्यक्ति है तथा वादी का भोलू राम पुत्र कालूराम ही सही नाम है लेकिन सहवन से भूमि मुतदाविया में देवीसहाय पुत्र कालूराम हिस्सा 1/20 का गलत इन्द्राज हो रहा है। उक्त गलत इन्द्राज के कारण भविष्य में वादी व वादी के वारिसान को भूमि मुतदाविया का नामान्तकरण खुलवाने या किसी भी प्रकार की निजी या सरकारी सुविधा प्राप्त करने में कानूनी अडचन पैदा न हो इसलिये उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। ऐसी सूरत में वादी न्यायालय से इस अमर की उदघोषणा की डिक्री प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है कि खाता संख्या नया 73 पुराना 65 में वादी के गलत नाम देवीसहाय पुत्र कालूराम हिस्सा 1/20 को दुरूस्त करके वादी का सही नाम भोलूराम पुत्र कालूराम हिस्सा 1/20 जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

अतः भूमि मुतदाविया के खाता संख्या नया 73 पुराना 65 ग्राम नन्देरा में वादी के नाम के गलत इन्द्राज देवी सहाय पुत्र कालूराम हिस्सा 1/120 को दुरूस्त कर वादी का सही नाम भोलू राम पुत्र कालूराम हिस्सा 1/20 दर्ज कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1,2,4 लगायत 7, 9 लगायत 11 की ओर से एड. श्री गोविन्द गुरु एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 8 की ओर से एड.श्री अरूण वर्मा ने पावर पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण नाम दुरूस्ती से संबधित है। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 3991 दिनांक 03.07.2025 के संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार देवीसहाय पुत्र कालूराम एवं भोलूराम पुत्र कालूराम एक ही व्यक्ति होना व्यक्त किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के साथ पेश पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी वाद उदघोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि खाता संख्या नया 73 पुराना 65 खसरा नम्बर 1486 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नम्बर 1488 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 1489 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 1495 रकबा 0. 10 हैक्टे, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.07 हैक्टे, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.18 हैक्टे, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.05 हैक्टे, कुल किता 08 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में तहसीलदार बांदीकुई जांच करे कि देवीसहाय पुत्र कालूराम एवं भोलूराम पुत्र कालूराम एक ही व्यक्ति हो तो देवीसहाय पुत्र कालूराम हिस्सा 1/20 का नाम हजफ कर उसके स्थान भोलूराम पुत्र कालूराम हिस्सा 1/20 राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे। तहरीर एवं पर्चा डिक्री जारी हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 21.11.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

21/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई
जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्टेट, बॉदीकुई
उनवान– भोलूराम उर्फ देवी सहाय बनाम झब्बू वगै.
दावा बाबत– उद्घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

मु.न. 134/2024

आदेश है कि वादी वाद उदघोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर खाता संख्या नया 73 पुराना 65 खसरा नम्बर 1486 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा नम्बर 1488 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 1489 रकबा 0.11 हैक्टे, खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.10 हैक्टे, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.07 हैवटे, खरारा नम्बर 884 रकबा 0.18 हैक्टे, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.05 हैक्टे, कुल किता 08 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 0.70 रूपया वाके ग्राम नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में तहसीलदार बांदीकुई जांच कर देवीसहाय पुत्र कालूराम एवं भोलूराम पुत्र कालूराम एक ही व्यक्ति हो तो देवीसहाय पुत्र कालूराम हिस्सा 1/20 का नाम हजफ कर उसके स्थान भोलूराम पुत्र कालूराम हिस्सा 1/20 राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे।

निज................................मुबलिग..बाबत्.. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह.....0 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...0 का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।

21/11/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कगिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.......21/11/25
ओहदा..............................

Scanned with OKEN Scanner